U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh ¼ch- ,y- dkBkjh] vkb-,-,l

jktLo f}rh; vihy l[;k 26@2018

vihykUV बनाम **jLikMUVl**

vihykUV

1. श्री छोगाराम पुत्र श्री पूनाराम जाति कुम्हार, निवासी सलोदरियावास, शिवंगज जिला सिरोही।
2. श्री रामा पुत्र श्री हिराजी, जाति कुम्हार, निवासी सलोदरियावास, शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

jLikMUVl

1. श्रीमती मुली उर्फ मूलकी पुत्री श्री पुखराज उर्फ पकीया पत्नी तेजाराम जी, जाति कुम्हार, निवासी बागसीन, तहसील शिवंगज जिला सिरोही।
2. श्रीमती कान्ता पुत्री श्री पुखराज उर्फ पकीया पत्नी श्री शांतिलाल जी जाति कुम्हार निवासी पालडी जोड, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
3. श्री मंछाराम पुत्र श्री हिराजी जाति कुम्हार सलोदरियावास, शिवगंज जिला सिरोही
4. श्री मांगीलाल पुत्र श्री सोनिया, जाति कुम्हार सलोदरियावास, शिवगंज जिला सिरोही।
5. श्री माधिया पुत्र श्री सोनिया, जाति कुम्हार सलोदरियावास, शिवगंज जिला सिरोही।
6. श्री घीसूलाल पुत्र श्री पुखराज उर्फ पकीया, जाति कुम्हार, निवासी घांची कॉलोनी, प्लॉट नम्बर 991, भगत की कोठी, जोधपुर।
7. श्री रमेशकुमार पुत्र श्री पुखराज उर्फ पकीया जाति कुम्हार निवासी घांची कॉलोनी, प्लॉट नम्बर 99–ए, भगत की कोठी, जोधपुर।
8. श्री हडमान पुत्र श्री पुखराज उर्फ पकीया, जाति कुम्हार निवासी घांची कॉलोनी, प्लॉट नम्बर 99–ए, भगत की कोठी, जोधपुर।
9. श्रीमती कस्तु पत्नी श्री पुखराज उर्फ पकीया, जाति कुम्हार निवासी घांची कॉलोनी, प्लॉट नम्बर 99ए, भगत की कोठी, जोधपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.09.2017 जो अति0 जिला कलक्टर सिरोही ने प्रथम राजस्व अपील संख्या 126/2016 अनवान श्रीमती मूली वगै बनाम छोगाराम वगैराह में पारित किया।

mifLFkfr%&&

1. श्री अमित मेहता, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री लादूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से उपस्थित।
3. श्री एल0एल0शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 3 ता 9 की ओर से उपस्थित।
4. श्री ओमप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से उपस्थित।

fu.k;

fnukd 27 uoEcj] 2019

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 126/2016 अनवान श्रीमती मूली वगै बनाम छोगाराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन कथनों के साथ प्रथम अपील प्रस्तुत की कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता स्वर्गीय पुखराज उर्फ पकिया पुत्र हीराजी के नाम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम अखापुरा खुणी के खसरा संख्या 39 रकबा 12.09 बीघा, खसरा संख्या 40 रकबा 9 बिस्वा खसरा संख्या 41 रकबा 8 बिस्वा खसरा संख्या 42 रकबा 6 बिस्वा भूमि आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 8 के पिता व रेस्पो0 संख्या 9 के पति पुखराज उर्फ पकीया पुत्र हीराजी कुम्हार के नाम से संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज है। रेस्पोडेन्ट्स 1 व 2 के पिता पुखराज उर्फ पकीया का स्वर्गवास

दिनांक 15.09.1983 को हुआ था उनके स्वर्गवास के समय प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 9 ने फौतेदगी का नामान्तरकरण 127 संख्या केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 9 के पक्ष में ही दिनांक 06.06.1987 को स्वीकृत कर दिया गया जबकि उक्त फौतेदगी नामान्तरकरण में रेस्पो0 संख्या 6 ता 9 के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था। अतः उक्त नामा0 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक व दो की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2017 को नामा0 संख्या 123 दिनांक 06.06.1987 खारिज करते हुए प्रकरण तहसीलदार शिवंगज पुनः सुनवाई करने हेतु रिमाण्ड कर दिया। प्रथम राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय से अपीलाट के हक प्रभावित होने के कारण एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया गया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 एक ही परिवार के सदस्य है। हीराजी के 05 पुत्र क्रमशः पूनाराम, रामाजी,पुखराज, सोनाराम, मंछाराम पुत्र थे। हीराजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में उनकी आराजी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। पुखराज जी की मृत्यू के बाद जरिये नामान्तरकरण संख्या 123 रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगाय 9 के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त प्रथम अपील के जरिये पुखराज जी के हिस्से की आराजी का विवाद प्रस्तुत किया है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 पुखराज जी के जीवनकाल से ही शादी होने के बाद ससुराल में रही है। अपीलाधीन आदेश से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 9 ने वादग्रस्त भूमि की सम्पूर्ण आराजी अपीलान्ट संख्या 1 के पिता पुनमाराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये बेचाननामा दिनांक 12.07.1994 को बेचान कर दी तथा उक्त बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट संख्या 1 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात पुनमाराम जी की मृत्यु पर उनके पुत्र के नाम यानि अपीलान्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बाद के बेचाननामा व नामान्तरकरण को चुनौति नही दी है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के हक व अधिकार उत्पन्न हो चुके थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 9 ने मिलावट करते हुए भूमि का बाजार मूल्य बढ जाने से उक्त अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के सदस्य होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त बेचाननामे में अपनी मौखिक सहमति दी थी। उन्हें प्रारम्भ से ही नामान्तरकरण संख्या 123 व बेचाननामे की जानकारी थी। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगाय 9 ने अपने पुश्तैनी रहवासीय मकान का विक्रय 1991 में कर भगत की कोठी जोधपुर में मकान खरीद कर निवास कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगाय 9 का विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार नही रहा है।

7. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अपने अधिकारों की मांग है लेकिन पुखराज जी की मृत्यु के वक्त रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का अपीलान्ट की खातेदारी आराजी में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् कोई हक व अधिकार नहीं रहता है। अपीलान्ट को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलाण्ट को सुने बिना उसके अधिकार को समाप्त नही किया जा सकता है। केवल मात्र लम्बे अर्से बाद म्यूटेशन को चुनोती देकर खातेदारी अधिकार निरस्त नही किये जा सकते अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 2 ने अपीलाण्ट द्वारा भूमि खरीद करने के बाद बेचाननामा के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन को एंव उक्त बेचाननामें को आज तक कहीं भी चुनौती नही दी है। बेचाननामा व बेचानामें के आधार पर भरा गया म्यूटेशन निरस्त कराये बिना रेस्पोडेन्ट किसी प्रकार का विवादित आराजी में हक व अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

8. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया गया कि म्युटेशन कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसेडिंग हैं तथा प्रोसेडिंग में किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जाते हैं। एक तरह से अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट

संख्या 01 लगाय 02 के घोषणा के वाद को अपीलाधीन आदेश के जरिये डिक्री कर दिया जो क्षेत्राधिकार से परे हैं। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2017 निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.09.2017 निरस्त कर म्युटेशन संख्या 123 दिनांक 06.06.1987 यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करावे।

9. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस संख्या एक व दो की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन कथनों के साथ प्रथम अपील प्रस्तुत की कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता स्वर्गीय पुखराज उर्फ पकिया पुत्र हीराजी के नाम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम अखापुरा खुणी के खसरा संख्या 39 रकबा 12.09 बीघा, खसरा संख्या 40 रकबा 9 बिस्वा खसरा संख्या 41 रकबा 8 बिस्वा खसरा संख्या 42 रकबा 6 बिस्वा भूमि आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 8 के पिता व रेस्पो0 संख्या 9 के पति पुखराज उर्फ पकीया पुत्र हीराजी कुम्हार के नाम से संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज है। रेस्पोडेन्ट्स 1 व 2 के पिता पुखराज उर्फ पकीया का स्वर्गवास दिनांक 15.09.1983 को हुआ था उनके स्वर्गवास के समय प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 9 ने फौतेदगी का नामान्तरकरण 127 संख्या केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 9 के पक्ष में ही दिनांक 06.06.1987 को स्वीकृत कर दिया गया जबकि उक्त फौतेदगी नामान्तरकरण में रेस्पो0 संख्या 6 ता 9 के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था। अतः उक्त नामा0 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक व दो की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2017 को नामा0 संख्या 123 दिनांक 06.06.1987 खारिज करते हुए प्रकरण तहसीलदार शिवंगज पुनः सुनवाई करने हेतु रिमाण्ड किया गया है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत फौतेदगी नामा0 में उनका नाम भी मृतक खातेदार यानि उनके पिता के नाम आई हुई उक्त खसरान भूमि में उनके हक–अधिकार तय कराने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है जो उचित एवं

विधि अनुसार उचित पारित किया गया है उसे यथावत बहाल रखा जावे तथा अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावें।

10. हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

11. प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को अपने आदेश दिनांक 26.09.2017 के द्वारा यह अंकित करते हुए तहसीलदार शिवगंज को प्रतिप्रेषित की गई है कि खातेदार पकिया उर्फ हीरा कुम्हार की मृत्योपरान्त उत्तराधिकार का नामा0 संख्या 123 उनके पुत्राों व पत्नि के पक्ष में ही दायर होकर स्वीकृत हुआ। जबकि रेस्पोडेन्टस के अलावा अपीलान्ट भी उनकी पुत्रीया है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार हिन्दू खातेदार के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार नियम लागू होते है। अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार कर नााम0 संख्या 123 निरस्त किया जाता है तथा तथा मृतक खातेदार पकिया पुत्र हीरा के विधिक उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में जॉच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि अनुसार नामा0 दायर करें।

12. प्रथम अपीलीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 123 को निरस्त करते हुए केवल मात्र मृतक खातेदार पकिया पुत्र हीराजी कुम्हार के वारिसान उनकी पत्नि, पुत्रों एवं पुत्रियों को ही यानि रेस्पोडेन्टस संख्या 1, 2, 6,7,8,9 को ही सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में जॉच कर नामा0 दायर करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अपीलान्टस भी तत्समय से वादग्रस्त भूमि में भूमि खरीद कर लिये जाने के कारण राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में रेकर्डेड खातेदार अंकित थे जिनके हक–अधिकारों सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी एवं कार्यवाही हेतु अनुशंषा नहीं की गई है और उनके भूमि खरीद करने के उपरान्त बेचान दस्तावेज

के अनुरूप स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण के सम्बन्ध में भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है जो भी आवश्यक था। इसके अतिरिक्त मृतक खातेदार की पुत्रियॉ के द्वारा वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत किये गये अपीलाधीन नामा0 को निरस्त कराने एवं अपने हक–अधिकारों को तय कराने हेतु लगभग 30 वर्ष की लम्बी अवधि पश्चात अपील के माध्यम से अनुतोष चाहा है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो को चाहिये था कि वे इस हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत करते हुए वांछित अनुतोष प्राप्त करती जिससे उनके हक–अधिकारों को स्पष्ट निर्धारण हो पाता। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक मनन करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय है कि अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वो निरस्त करने योग्य होने से निरस्त किया जाना उचित रहेगा।

13. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2017 को निरस्त किया जाता है तथा नामा0 संख्या 127 को बहाल किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tks/kiqj